2041/- BIHAR 1986 200 Rs.

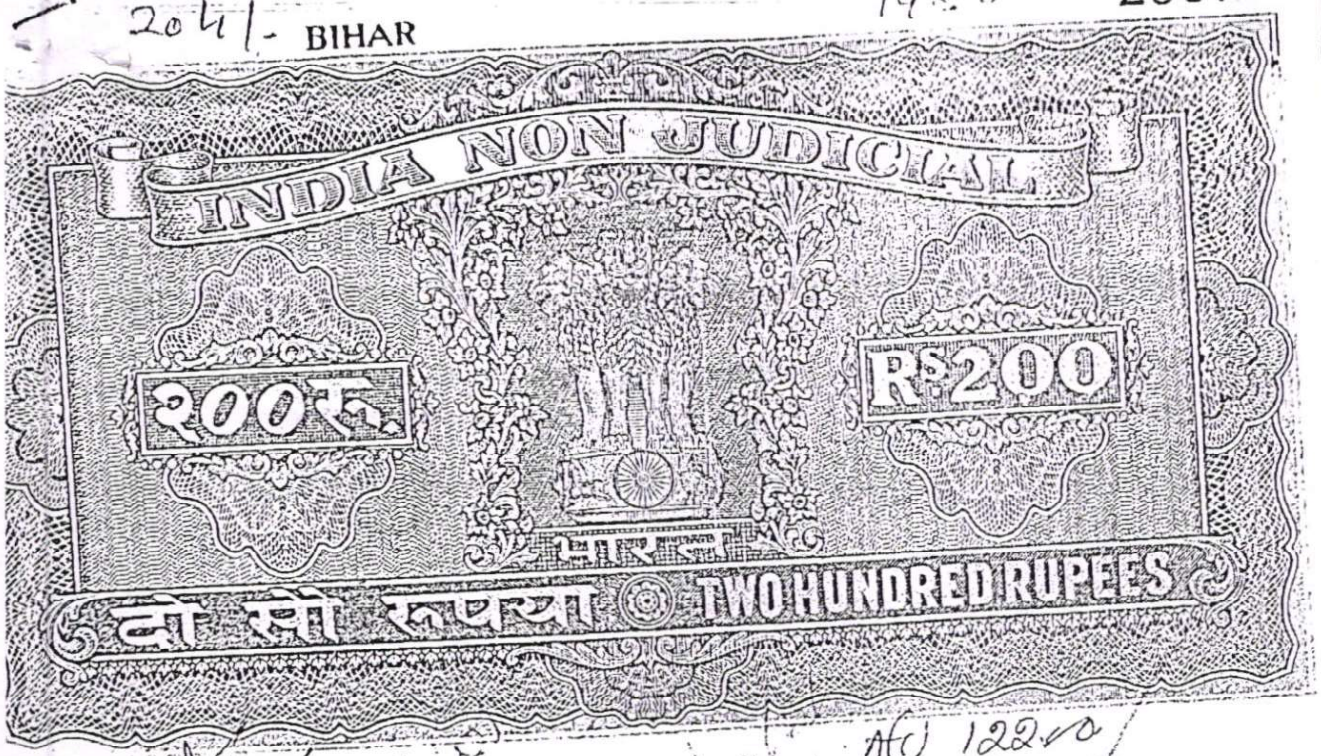

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

नाम लेखक कर्त्ता - १ महम्मद रसीद खाँ
२ महम्मद शरीफ खाँ पिता स्व० अब्दुल मजिद जात मुसलमान व्यवसाय वाणिज्य निवास स्थान ग्राम ३१ मेन रोड राँची थाना वो जिला राँची — विक्रेता

लेखक धारी — श्री मति श्यामापति देवी पति श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह जात कुरमी निवास स्थान ग्राम कैथील थाना चण्डी जिला नालन्दा (व्यवसाय घर गृहस्त) वर्तमान निवास ग्राम जोरा ई टोली छटीया प्र. रघुरखरा थाना वो जिला राँची — क्रेता

लेखक प्रकार - विक्रय पत्र (केवाला)

श्यामापति देवी

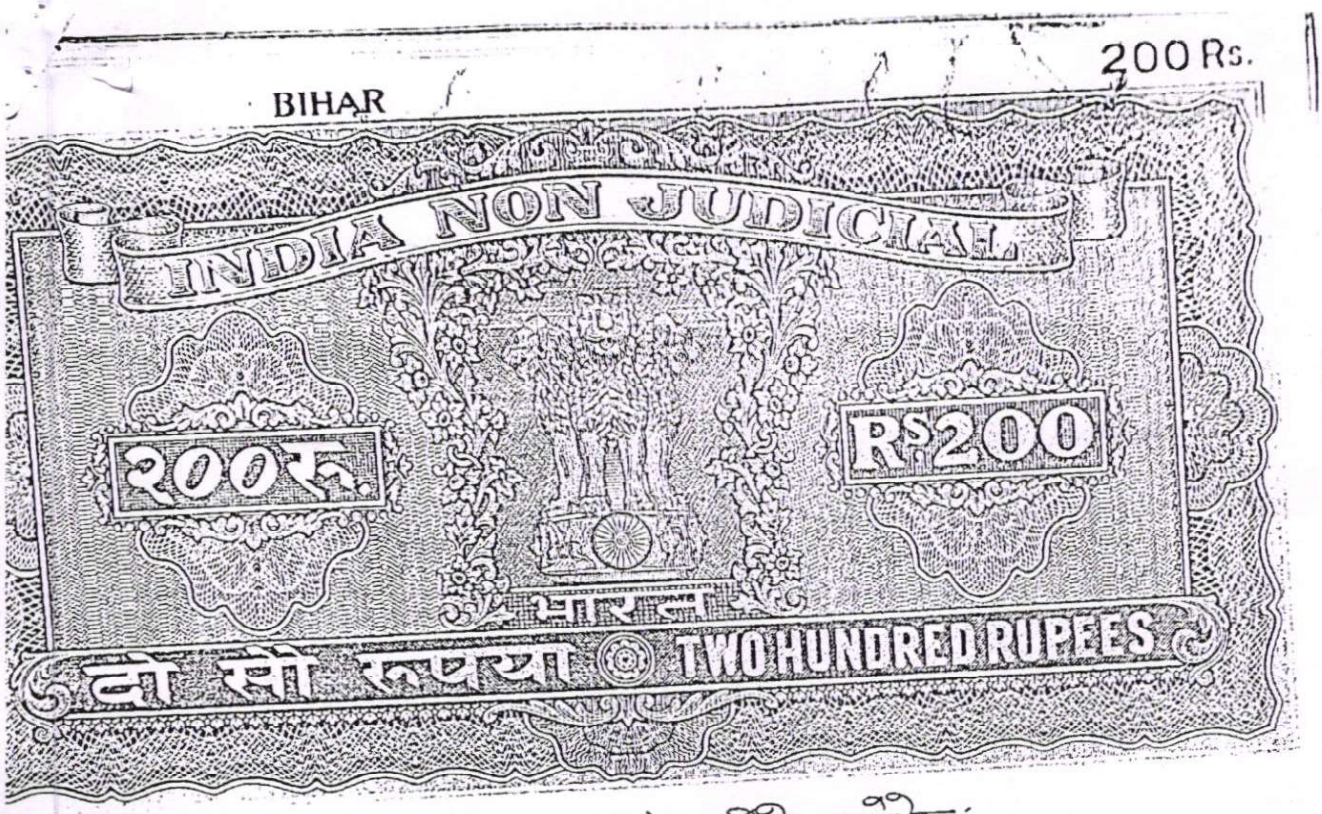

BIHAR 200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००रु. Rs 200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

मूल्य - मो० नव हजार पाँच सौ रुपया
रुपये (९५००) रुपया वार्षिक राजस्व कर
४ रु ६२ पैसा
नाम जमीन्दार - बिहार सरकार राँची -

सम्पति का विवरण - घपर बन्दी क्रय
सम्पति जो दिनाँक ५-१२-५३ पुस्तक
संख्या १ जिल्द ४४ निबन्ध संख्या ६०७४
पन्ना १७१ से १७४ सन् १९५३ मो राँची
द्वारा विक्रय पत्र से प्राप्त है जो ग्राम कड़क
थाना राँची ग्राम संख्या २०३ अन्दर खाता नं०
१२६ एक सौ सताइस प्लाट नं० २४४४ -
होल्डींग नं० १०१५ हाल होल्डींग नं० १५४६
म्युनिसी पलोटी रकबा १९ डी० सोल९ डी०
मध्ये ०८ डी० आठ डीसमील पूर्वी भाग -
मकान खपड़ पोश इत्यादि सहित
आर्थवान जो मानचित्र मे लाल रङ्ग से
अंकित कर दर्शाया गया है जिसका जिला निबन्ध
पता अनुसार निबन्ध पत्र में रचित है।
उ० परती निज द० रास्ता पु० परती निज प० सुमीत्रा देवी

[illegible]

५-२-७८

५/१०/७८

BIHAR

50RS.

पचास रुपया

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES

50RS

की क्रय सम्पति है जिसका दिनांक 5-12-53
को विक्रय पत्र द्वारा उपरोक्त दस्तावेज पर क्रय
कर उपरोक्त मान चल आवे है। आज
हम लेख्य कर्ता को अपना आवश्यक कार्य
हेतु उऋण हो भी वाणिज्य की पूंजी लगाने
के लिए उपरोक्त रकम रूपया लेख्य धारी से
लिए और ले कर अपने उपयोग किए और उक्त
रकम के बदले अपना उपरोक्त सम्पति भूमि
और मकान को साथ लेख्य धारी के विक्री
कर दिए और सर्वाधिकारी बनाए अब
लेख्यधारी महोदया उक्त विक्रय सम्पति का
सर्वाधिकारी एवं स्वामि बन कर गैरकोड़.
अनाज इत्यादी उपजा कर या बाग बगीचा
कुआ बारी बना कर या पक्का मकान या मकान
भवन निर्माण कर अपने वास करे या आवाद
पर लगाए या जैसी इच्छा हो अपने उपयोग
किया करे और राजस्व विभाग में अपना
नाम अंकित करा कर और वाजिब राजस्व कर
मालगुजारी अदा कर दे कर रसीद इत्यादि
लिया करे, किसी प्रकार का आगम स्वत्व
अधिकार उक्त भूमि पर हम लेख्य कर्ता एवं
हमारे उत्तराधिकारी स्थानापन्न का ना रहा होता।
सो आज आज के तिथि से लेख्य धारी
एवं उनके उत्तराधिकारी स्थानापन्न का हुवा
और होगा अब उक्त भूमि पर हम लेख्य कर्ता
का कोई दावा अधिकार नहीं रहा और न

सही साट हाथि एवं बा: टा:
5-2-08
5/2/08

श्यामपति देवी

BIHAR 6 RS

INDIA

पाँच रूपया

SIX RUPEES भारत SIX RUPEES

मे अवरचित समझा जायगा विदित हो कि उपरोक्त
अग्रिम प्रतिबन्ध पत्र द्वारा 2000) विक्रेता
ले चुके हैं तो बाकी मूल्य (6400) आज के
दिन लिया सम्पूर्ण मूल्यांकन, तो (8400)
हुवा - यो भी विदित हो की उक्त भूमि पर हम
लेख्य कर्ता का निर्विवाद अधिकार है उक्त पर
हमारा तथा हमारे पूर्वजों का किया गया किसी
प्रकार का भूगमार नहीं है फिर भी हम
प्रतिज्ञा करते हैं कि यदी किसी प्रकार का
भूगमार निकले या आगम दोष निकले तो
उसका सम्पूर्ण दायीत्व विक्रेता होंगे वो उस
घाटा का पूर्ति विक्रेता के अन्य चल
अचल सम्पति से किया जायगा अतः हम
अपने तन मन की पूर्ण स्वस्थता पर बिना
किसी के दबाव धमकी व प्रकार परकार)
अपनी हानि लाभ का पूर्ण विचार करके
सम्पूर्ण मूल्य राशी पाकर यह विक्रय
पत्र लिख कर लेख्य धारी के हाथ समर्पण
कर दिए की समय पर काम आवे
आज दिनांक - 4- 2- 08 ई०

ह० श्री मति शान्ति देवी
4- 2- 07
5/8/75

श्यामपति देवी

(अंगूठा)

BIHAR 2 Rs

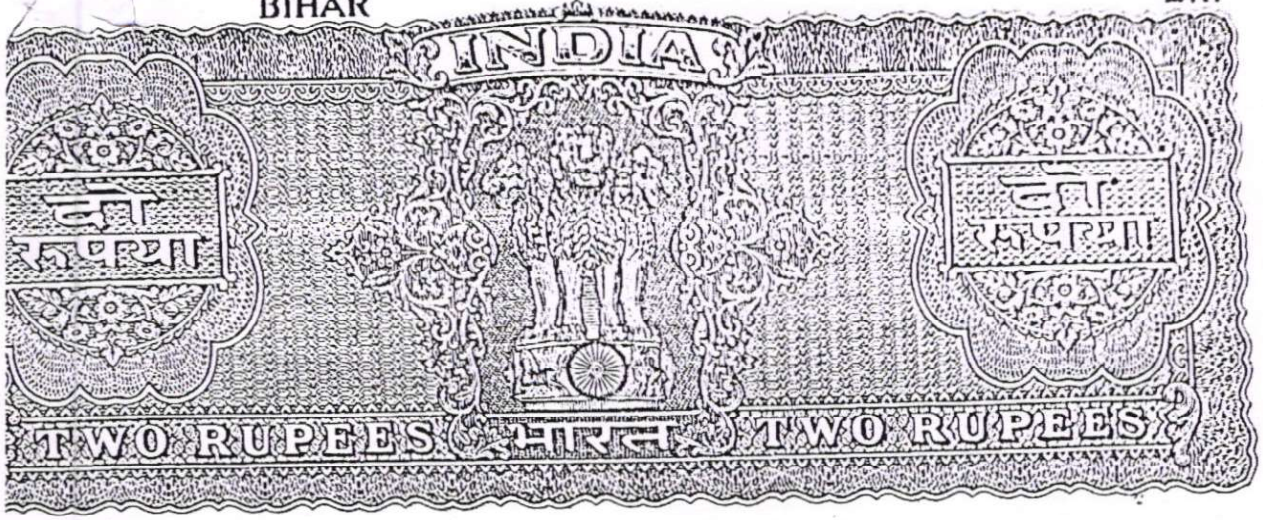

INDIA

दो रुपया

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

हम घोषित करते है कि इस दस्तावेज मे अन्तरीत की जाने वाली सम्पति हमारे अधिकतम सीमा से अधिक नही है

मो० रशीद (वो) बी.ए.
5-2-98

5/8/94

नहीं मो० रशीद हा० बी. ए.
5-2-98
5/8/94

श्यामपति देवी

लेख्य प्रकार - विक्रय पत्र (कवाला) ५

BIHAR 2 RS

INDIA

दो रुपया

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

लेखक धारी मैं घोषित करती हूँ
कि इस दस्तावेज से अन्तरित की
जाने वाली सम्पत्ति के कारण और
धारीत सम्पत्ति में मिला कर
उच्चतम सीमा से उल्लंघन
नहीं होगा।

रामापति देवी

शुद्ध पै स्वीकार किया गया
४-२-०८
५/४/७५

रमापति देवी

लेखक
कार्यालय
४-२-०८

लेख्य प्रकार - विक्रय पत्र (केवाला)